



भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

श्री. रा. वि. अ.

नई दिल्ली, दिनांक 7.9.2006

सं. हिंदी- 2006/रा.भा.1/12/1

अधिसूचना

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), राजभाषा नियम 1976 (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) के नियम 10 के उपनियम (2) और (4) के अनुसरण में, भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड के नोएडा स्थित उत्तर मध्य क्षेत्र कार्यालय, 502, 5वां तल, पी-5, ओसियन प्लाजा, सेक्टर-18, नोएडा-201301, जहां 80% से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतद्वारा अधिसूचित करता है।

(कृष्णा शर्मा)

संयुक्त निदेशक, राजभाषा
रेलवे बोर्ड

भारत के राजपत्र के भाग-2, खंड 3 के उपखंड-11 के प्रकाशनार्थ।

(महेश चंद्र मोटवानी)

उपनिदेशक, राजभाषा
रेलवे बोर्ड

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली

प्रतिलिपि :-

1. प्रबंध निदेशक, भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, नई दिल्ली.
2. महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन कारखाने (भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, नई दिल्ली को छोड़कर)
3. रेल मंत्रालय के संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुख.
4. गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली.
5. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली.

Adhl.off.

818
20/9

श्री. रा. वि. अ.
18/9